फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

गिरवावती **बनाम** **स्टेट**

प्रकरण संख्या 191 /2026

किस्म मुकदमा : **136 LRA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
01.06.2026	प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीया का नाम रोही मौजा 10 जीजीएम के खाता संख्या 102/38 व रोही मौजा 9 जीजीएम के खाता संख्या 134/34 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम गिरदावरी पत्नि धर्मपाल दर्ज है। जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम गिरवावती पत्नि धर्मपाल है जो की प्रार्थी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड व मतदाता पहचान–पत्र में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम गिरदावरी पत्नि धर्मपाल के स्थान पर गिरवावती पत्नि धर्मपाल दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गिरदावरी पत्नि धर्मपाल के स्थान पर गिरवावती पत्नि धर्मपाल किया जाना उचित है की अनुशंषा की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गिरदावरी पत्नि धर्मपाल दर्ज है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड व मतदाता पहचान–पत्र में प्रार्थीया का गिरवावती पत्नि धर्मपाल दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थीया का नाम सही करने हेतु अनुशंषा की गई है प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 10 जीजीएम के खाता संख्या 102/38 व रोही मौजा 9 जीजीएम के खाता संख्या 134/34 में दर्ज गिरदावरी पत्नि धर्मपाल के स्थान पर गिरवावती पत्नि धर्मपाल का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़) Rahul	